UPAG010045662024

न्यायालय अपर जिला जज, न्यायालय संख्या–1, आगरा

सिविल वाद सं0 51/2024 (पुराना नं0 419/2024)

लक्ष्मी सिंह व 4 अन्य, बनाम श्रीमती किरन देवी व 3 अन्य,

दिनांक 16.09.2025

निस्तारण प्रार्थना पत्र 37ग व 38ग

1. 37ग व 38ग प्रार्थना पत्र पर वादिनी व प्रतिवादिनीगण के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है। आदेश हेतु पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

2. 37ग प्रार्थना पत्र वादिनी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अनजाने में भूलवश वादिनी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर सहित अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दाखिल किया गया है। अब वादिनी के मूल हस्ताक्षर सहित शपथ पत्र के साथ नया अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 38ग शपथ पत्र 39ग इस प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल किया जा रहा है। अतः न्याय हित में इसे अभिलेख पर लिया जाये तथा न्याय हित में अन्तरिम अस्थायी व्यादेश प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने की याचना की गयी। प्रार्थना पत्र 37 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र 38ग व शपथ पत्र 39ग को पत्रावली पर रखा जाये।

3. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनीगण की ओर से अस्थायी व्यादेश हेतु प्रार्थना पत्र 7ग मय शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिस पर बल न देने के कारण दिनांक 29.08.2025 को निरस्त किया गया। तत्पश्चात वादिनी की ओर से एक अन्य अस्थायी व्यादेश हेतु प्रार्थना पत्र 35ग मय शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिस पर बल न देने के कारण दिनांक 10.09.2025 को निरस्त किया गया। तत्पश्चात वादिनी की ओर से प्रार्थना पत्र 38ग मय शपथ पत्र 39ग अस्थायी व्यादेश के लिए दिया गया है।

4. उपरोक्त प्रार्थना पत्र 38ग व शपथ पत्र 39ग पर वादिनीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादिनीगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र 38ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि संलग्न शपथ पत्र 39ग में दिये गये तथ्यों के आधार पर प्रतिवादिनीगण, उनके अभिकर्ता व सहयोगियों को जरिये अस्थायी व्यादेश दौरान वाद

मना किया जाये कि वादग्रस्त सम्पत्ति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के अन्त में अक्षर ए व बी में अंकित है, पर से वादिनीगण को बलपूर्वक बेदखल न करें, उस पर मौजूदा निर्माण को ध्वस्त न करें, कोई निर्माण न करें तथा विभाजन के बिना किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित न करें।

6. संलग्न शपथ पत्र 39ग में वादिनीगण की ओर से यह कहा गया कि वादिनीगण ने प्रतिवादिनीगण के विरुद्ध घोषणात्मक डिक्री और स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत वाद दायर किया है और अन्तरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया है। प्रतिवादिनीगण ने उपस्थित होकर मामले में अपना उत्तर और प्रतिवाद पत्र दाखिल किया है। वाद के लम्बित रहने के दौरान, प्रतिवादिनी संख्या 1 ने प्रतिवादिनी संख्या 2 के पक्ष में मकान संख्या 25/38बी/4/1ए, जिसका खसरा संख्या 1442 क्षेत्रफल 160 वर्ग गज है, बसई मुस्तकिल (बसैया खुर्द) तहसील व जिला आगरा में स्थित है, के सम्बन्ध में दिनांक 26.04.2024 को एक दान विलेख निष्पादित किया। इसी प्रकार प्रतिवादिनी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में बसई मुस्तकिल (बसई खुर्द) तहसील व जिला आगरा में स्थित 121.11 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले दो मंजिला मकान संख्या 25/38बी/6 के सम्बन्ध में दिनांक 26.04.2024 को एक दान विलेख निष्पादित किया। वादिनी को कथित उक्त दान विलेखों के बारे में प्रतिवादिनीगण द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 16.05.2025 को मामले में दाखिल प्रति–शपथ पत्र से पता चला। इससे पहले, वादिनी को कथित दान विलेखों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही वादिनी को कथित दान विलेख के बारे में पता चला, उन्होंने अपने दावा में संशोधन करवाया और कथित दान विलेखों को अमान्य घोषित करने की याचना की। यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि श्री मेघ सिंह ने दिनांक 19.03.1980 को अपने पूर्व मालिक से एक मकान खरीदा था, जिसका नगर निगम संख्या 25/38बी/4/1ए अंकित है, खसरा संख्या 1442 में 160 वर्ग गज यानी 133.77 वर्ग गज, पूरब से पश्चिम 35 फीट और उत्तर से दक्षिण 41 फीट है, जो बसई मुस्तकिल (बसई खुर्द) तहसील व जिला आगरा में स्थित है, जिसे संलग्न साइट प्लान में लाल रंग से दिखाया गया है। इसी प्रकार श्री मेघ सिंह 121.11 वर्ग गज यानी 101.26 वर्ग मीटर के एक मकान के मालिक थे, जिस पर नगर निगम संख्या 25/38बी/6 अंकित है, जो बसई खुर्द तहसील व जिला आगरा में स्थित है, जिसे संलग्न साइट प्लान में पीले रंग से दिखाया गया है। दोनों मकानों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिनका वर्णन वादपत्र के नीचे किया गया है, इन्हें वाद में विवादित सम्पत्तियों में संदर्भित किया गया है। श्री मेघ सिंह अपनी अन्तिम सांस तक तथा अपनी मृत्यु के बाद भी वाद में वर्णित सम्पत्तियों के स्वामी रहे।

वादिनीगण और प्रतिवादिनीगण वाद में वर्णित सम्पत्तियों के संयुक्त स्वामी हैं, जिनमें से प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है तथा वे संयुक्त रूप से उनमें रह रहे हैं। वादग्रस्त सम्पत्तियाँ अभी भी संयुक्त सम्पत्तियाँ हैं। वादिनीगण व प्रतिवादिनीगण के बीच विवादित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में मौखिक रूप से या किसी न्यायालय द्वारा कोई बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादिनीगण का विवादित सम्पत्तियों पर वादिनीगण के हिस्से के सम्बन्ध में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है, न तो वे मालिक हैं और न ही वादिनीगण के हिस्से से उनका कोई सम्बन्ध है, बल्कि प्रतिवादिनीगण आपस में मिलीभगत करके अवैध, अनाधिकृत और अत्यंत दबंग तरीके से वादग्रस्त सम्पत्तियों में वादी के हिस्से को हड़पना चाहते हैं। दिनांक 26.4.2024 के कथित दान विलेख अवैध, अमान्य, अप्रभावी, शून्य और निरर्थक हैं। प्रतिवादिनी सं0 1, वादग्रस्त सम्पत्तियों की पूर्ण स्वामिनी नहीं थी, इसलिए उसे वादग्रस्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रतिवादिनी संख्या 2 और 3 के पक्ष में कथित दान विलेख निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादिनी संख्या 1 का विवादित सम्पत्तियों में केवल 1/8वाँ अविभाजित हिस्सा है, जो कथित दान विलेखों की विषय–वस्तु के अवलोकन से ही स्पष्ट है, क्योंकि श्री मेघ सिंह वाद में उल्लिखित सम्पत्तियों के पूर्ण स्वामी थे, इसलिए श्री मेघ सिंह की मृत्यु के बाद वादिनीगण और प्रतिवादिनीगण जो श्री मेघ सिंह के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि हैं, विवादित सम्पत्तियों के संयुक्त स्वामी बन गए हैं और उनमें से प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है। प्रतिवादिनी संख्या 1 ने नगर निगम, आगरा के कर्मचारियों की मिली भगत से नगर निगम, आगरा के कर निर्धारण अभिलेखों में अपना नाम परिवर्तित करवा लिया, जिससे विवादित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रतिवादिनी संख्या 1 का पूर्ण स्वामित्व सिद्ध नहीं होता। यह केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है, लेकिन नगर निगम, आगरा के कर निर्धारण अभिलेखों में उसके नाम की प्रविष्टि के आधार पर, प्रतिवादिनी संख्या 1 ने विवादित सम्पूर्ण सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रतिवादिनी सं0 2 और 3 के पक्ष में कथित दान विलेख गलत और अवैध रूप से निष्पादित किया गया है। वादिनीगण के पास विवादित सम्पत्तियों में 1/8 हिस्सा है और प्रतिवादिनीगण द्वारा कथित दान विलेख केवल विवादित सम्पत्तियों में वादिनीगण के हिस्से को हड़पने के लिए निष्पादित करवाए गए हैं। प्रतिवादिनी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादिनी सं0 2 और 3 को कथित दान विलेखों के अनुसरण में कभी कोई कब्जा नहीं दिया गया था, वादिनीगण और प्रतिवादिनीगण अभी भी वाद में सम्पत्तियों पर संयुक्त कब्जे व उपयोग में हैं। विवादित सम्पत्तियाँ अभी भी संयुक्त सम्पत्तियाँ हैं। वादिनीगण और प्रतिवादिनीगण के बीच कभी भी कोई मौखिक रूप से या किसी भी न्यायालय द्वारा कोई विभाजन नहीं हुआ है। दान विलेखों में वादिनीगण के हिस्से का

खुलासा नहीं किया गया है। प्रतिवादिनी संख्या 2 व 3 के पक्ष में कथित दान विलेखों के निष्पादन से पहले प्रतिवादिनी संख्या 1 द्वारा वादिनीगण की कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई है। कथित दान विलेखों के लेखक और गवाह प्रतिवादिनीगण के अपने आदमी हैं। प्रतिवादिनी संख्या 1 ने धोखाधड़ी करके, प्रतिवादिनी संख्या 2, 3 व गवाहों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से कथित दान विलेख निष्पादित किए गये हैं, ताकि वादिनीगण को उनके पिता द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति में उनके विधिपूर्ण मूल्यवान हिस्से से वंचित किया जा सके। कथित दान विलेख धोखाधड़ी, गलत बयानी, मिलीभगत और प्रतिवादिनीगण द्वारा विवादित सम्पत्तियों में वादिनी के हिस्से को हड़पने के लिए किए गए षड्यंत्र का परिणाम हैं। किसी भी दृष्टिकोण से, कथित दान विलेख प्रतिवादिनी संख्या 2 और 3 को कोई अधिकार, हक या हित प्रदान नहीं करते हैं और वे वादिनी पर बाध्यकारी नहीं हैं। एक पुत्री विवाहित है व 6 पुत्रियाँ अविवाहित हैं। वादिनीगण बेड़िया समुदाय से हैं। आगरा में नृत्य का कार्य करते हैं। कथित दान विलेखों की आड़ में प्रतिवादिनीगण वादिनीगण को धमकी दे रहे हैं कि वे उन्हें विवादित सम्पत्ति से बलपूर्वक बेदखल कर देंगे तथा उसे अपनी पसन्द के व्यक्तियों को बेच देंगे और हस्तान्तरित कर देंगे, ताकि वादिनीगण को विवादित पैतृक सम्पत्तियों में उनके कानूनी हिस्से से वंचित किया जा सके। दिनांक 17.08.2025 को प्रतिवादिनीगण ने विवादित सम्पत्ति को बेचने और हस्तान्तरित करने के लिए कुछ व्यक्तियों के साथ बातचीत शुरू की और जैसे ही वादिनीगण को प्रतिवादिनीगण के उक्त दुर्भावनापूर्ण इरादे के बारे में पता चला, उन्होंने प्रतिवादिनीगण से इसके बारे में पूछताछ की, तब प्रतिवादिनी क्रोधित हो गए और उन्होंने वादिनीगण को खुलेआम धमकी दी कि वे विवादित सम्पत्ति को कुछ दिनों के भीतर अपनी पसन्द के व्यक्ति को बेच देंगे और हस्तान्तरित कर देंगे। उसके बाद वादिनी को जबरन वहाँ से बेदखल कर देंगे और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। यदि प्रतिवादिनीगण अपने अवैध प्रयास और उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो वादिनीगण को अपूरणीय क्षति, जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नहीं की जा सकेगी और वे वाद में पैतृक सम्पत्ति में अपने विधिक मूल्यवान हिस्से से वंचित हो जाएंगे। इन परिस्थितियों में, न्याय और समता के हित में प्रतिवादिनीगण, उनके अभिकर्ता, सहयोगियों और उनके माध्यम से अन्य व्यक्तियों को वादिनी के शान्तिपूर्ण संयुक्त कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोकना अत्यन्त आवश्यक है। विवादित सम्पत्ति से वादिनीगण को बलपूर्वक बेदखल करन, उस पर विद्यमान निर्माण को ध्वस्त करने, कोई निर्माण करने, विभाजन के बिना किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित करने से प्रतिवादिनीगण को मना किया जाये कि वे दौरान वाद मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। वादिनीगण का प्रथम दृष्टया केस

है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए उनके पक्ष में है। उक्त कथनों के आधार पर वादिनीगण द्वारा अस्थायी व्यादेश की याचना की गयी।

7. उपरोक्त प्रार्थना पत्रों की नकलें प्रतिवादिनीगण के विद्वान अधिवक्ता को दी गयी, किन्तु उनकी ओर से कोई लिखित आपत्ति व प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया।

8. सुनवाई के दौरान वादिनीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि विवादित सम्पत्ति उनकी पुश्तैनी सम्पत्ति है, जो प्रतिवादिनी सं0 1 श्रीमती किरन देवी के पति तथा वादिनीगण व अन्य प्रतिवादिनीगण के पिता श्री मेघ सिंह की सम्पत्ति है, जिसे श्री मेघ सिंह ने स्वयं बनायी है तथा उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद वादिनीगण व प्रतिवादिनीगण सभी समान अंश के हिस्सेदार हैं, संयुक्त रूप से विवादित सम्पत्ति पर उनका कब्जा व दखल है तथा उसका संयुक्त रूप से उपयोग भी कर रहे हैं। प्रतिवादिनी सं0 1, वादिनीगण की माँ ने फर्जी तरीके से कुछ सम्पत्तियों को नगर निगम अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया है, जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादिनीगण की माँ प्रतिवादिनी सं0 1 श्री किरन देवी ने विवादित मकान सं0 25/38बी/4/1 ए का दान पत्र दिनांक 26.04.2024 को प्रतिवादिनी सं0 2 के पक्ष में तथा विवादित सम्पत्ति दो मंजिला मकान सं0 25/38बी/6 का दान पत्र दिनांक 26.04.2024 को प्रतिवादिनी सं0 3 के पक्ष में किया है, जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि अभी तक विवादित सम्पत्तियों का आपस में कोई बंटवारा न तो मौखिक और न ही किसी न्यायालय द्वारा कराया गया है। प्रार्थना पत्र 38ग अस्थायी व्यादेश में उपरोक्त दोनों सम्पत्तियों को विवादित बताया गया है तथा उन्हीं सम्पत्तियों के बावत अस्थायी व्यादेश की याचना की गयी है।

9. प्रतिवादिनीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 38ग व शपथ पत्र 39 के खण्ड़न में न तो कोई लिखित आपत्ति दाखिल की है और न ही कोई प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान वादिनीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादिनीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि विवादित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी भी तरह से हस्तान्तरण करने की बावत दोनों पक्षों को रोकने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वे लोग चाहते हैं कि विवादित सम्पत्तियाँ जैसी है, वैसे ही दौरान वाद वैसी की बनी रहे। आदेश दिनांक 29.08.2025 के हासियें पर वादिनीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रविष्टि अंकित की गयी है कि ''वादीगण जायदाद विवादित को विक्रय नहीं करेगें, न किसी तरह का परिवर्तन करेगें।'' इसी

प्रकार प्रतिवादिनीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उसके नीचे यह अंकित किया गया है कि ''प्रतिवादी उक्त सम्पत्ति को आज के बाद न तो विक्रय करेगें न ही किसी तरह का परिवर्तन करेगें।'' सुनवाई के दौरान भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह कहा गया कि विवादित सम्पत्ति के बावत यथास्थिति के आदेश पारित करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वे लोग भी चाहते हैं कि विवादित सम्पत्ति दौरान वाद खुर्द बुर्द न हो, सुरक्षित रहे। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र 38ग में वर्णित विवादित सम्पत्ति के बावत दोनों पक्षों को अस्थायी व्यादेश के जरिये मना किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है कि दौरान वाद उभय पक्ष विवादित सम्पत्ति को किसी भी तरह से स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से हस्तान्तरित नहीं करेगें और दोनों पक्ष एक–दूसरे के संयुक्त कब्जा, दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगें, तदनुरूप प्रार्थना पत्र 38ग स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 38ग स्वीकार किया जाता है। जरिये अस्थायी व्यादेश वादिनीगण व प्रतिवादिनीगण को दौरान वाद मना किया जाता है कि प्रार्थना पत्र 38ग में वर्णित सम्पत्तियाँ अक्षर ए, बी क्रमशः नगर निगम सं0 25/38बी/4/1ए, खसरा संख्या 1442, क्षेत्रफल 160 वर्ग गज है, अर्थात 133.77 वर्ग मीटर, पूरब से पश्चिम 35 फीट और उत्तर से दक्षिण 41 फीट, बसई मुस्तकिल (बसई खुर्द) तहसील एवं जिला आगरा तथा सम्पत्ति नगर निगम सं0 25/38बी/6, क्षेत्रफल 121.11 वर्ग गज अर्थात 101.26 वर्ग मीटर बसई मुस्तकिल (बसई खुर्द) तहसील एवं जिला आगरा के बावत दोनों पक्ष यथास्थिति बनाये रखेगें। कोई भी पक्षकार उक्त विवादित सम्पत्ति का किसी तरह से स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। दोनों पक्ष एक–दूसरे के विवादित सम्पत्ति पर संयुक्त कब्जा दखल, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगें।

वादिनीगण की ओर से दावे में दौरान वाद संशोधन किया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली वास्ते अतिरिक्त जबाव दावा तथा तनकी के लिए दिनांक 10.10.2025 को पेश हो।

ह0

अपर जिला जज, न्यायालय सं0–01,
आगरा।